भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4229

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय मछुआरे

4229. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पाकिस्तान में गिरफ्तार और जेलों में बंद भारतीय मछुआरों का आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके कारावास की अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित 'भारत-पाकिस्तान कोंसली सहायता करार' के अनुसार, दोनों देशों की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। 1 जुलाई 2024 को जिन सूचियों का आदान-प्रदान किया गया, उनके अनुसार पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि 211 भारतीय/भारतीय माने जाने वाले मछुआरे उनकी हिरासत में हैं, जिसमें 7 मछुआरे ऐसे हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे तमिलनाडु के हैं। तथापि, 1 जुलाई 2024 को पहली सूची के आदान-प्रदान के बाद, 211 मछुआरों में से गुजरात के 2 मछुआरों की मृत्यु हो चुकी है।

पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय/भारतीय माने जाने वाले मछुआरों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय/भारतीय माने जाने वाले मछुआरों की संख्या
गुजरात	134
दमन एवं दीव	24
महाराष्ट्र	18
उत्तर प्रदेश	17
तमिलनाडु	7
पश्चिम बंगाल	7
बिहार	1
ओडिशा	1
कुल	209

पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 209 मछुआरों में से 51 मछुआरे 2021 से; 130 मछुआरे 2022 से; 9 मछुआरे 2023 से; और 19 मछुआरे 2024 से पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं।

सरकार भारतीय मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा तथा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने के मामले सामने आते हैं, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा पाकिस्तान सरकार से कोंसली सहायता प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। कोंसली सहायता के दौरान, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों से उनकी कुशलता का पता लगाने के लिए मिलने जाते हैं और उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। भारतीय मछुआरों को कानूनी सहायता के साथ सभी संभव सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के मुद्दे को लगातार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि इस मुद्दे पर पूर्णतः मानवीय और आजीविका आधार पर विचार किया जाए।

सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से अब तक 2639 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है।

*****